RISING RAJASTHAN

Azadi Ka Amrit Mahotsav

राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 02/2024

प्रार्थी–

1. श्री विकास अधिकारी, बालोतरा, जिला बालोतरा।

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. सरपंच, ग्राम पंचायत चान्देसरा, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा।
2. श्री वना राम पुत्र श्री हरखा राम जाति प्रजापत निवासी चान्देसरा, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा।

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1996 विरूद्ध पट्टा संख्या 09 दिनांक 25.06.2009 जो अप्रार्थी सं. 2 के नाम ग्राम पंचायत चान्देसरा द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री विकास अधिकारी, बालोतरा प्रार्थी स्वयं उपस्थित।
2. श्री झुंझाराम पटेल व दिनेश कुमावत, अप्रार्थी सं. 2 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं. 1 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक :05.02.2025

1. प्रार्थी की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत चान्देसरा द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के नाम जारी पट्टा संख्या 09 दनांक 25.06.2009 के विरूद्ध दिनांक 14.05.2024 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 01 ग्राम पंचायत चान्देसरा द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 वनाराम पुत्र हरखाराम के पक्ष में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत मौजा चान्देसरा में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का पट्टा संख्या 09 दिनांक 25.06.2009 को जारी किया गया। इस भूखण्ड का नाप एवं क्षेत्रफल पट्टा के संलग्न अनुसूची में वर्णित अनुसार 753.61 वर्ग गज दर्शाया गया है तथा पड़ौस बदिशा उतर में 100 फीट सोनी हरखाराम, बदिशा दक्षिण में 75 फीट व हीराराम/भीखाराम का घर, पूर्व में 46 फीट व रास्ता एवं पश्चिम में 72 फीट व स्वयं प्रार्थी की खातेदारी भूमि, आया हुआ है। उक्त पट्टे को जारी

जिला कलक्टर
बालोतरा

करने में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1996 के प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलू की जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

3. प्रार्थी की निगरानी दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत चान्देसरा से निगरानीधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।

4. अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता द्वारा पेश जवाब में कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 2 को नियम 157(2) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत मिसल 06/2008–2009 में पट्टा संख्या 09 दिनांक 25.06.2009 को जारी किया गया है। वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा 50 वर्षो से ज्यादा समय से घर बना हुआ है और मौके पर अप्रार्थी संख्या 2 का कब्जा है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में पुराने घर को विनियमितीकरण का हकदार होने से विधिक रूप से आलोच्य पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर बने आवास गृहों के पट्टे जारी करने का क्षेत्राधिकार रखता है। जिस बाबत राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती रजा विभाग द्वारा जारी परिपत्र सिवायचक/नियमन/विधि/पट्टा/2017/1469 दिनांक 31.11.2017 को जारी किया गया है। उक्त आलोच्य भूखण्ड खसरा संख्या 572 गैर मुमकिन ढाणी आबादी क्षैत्र है। उपर्युक्त परिपत्र के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 2 को पट्टा जारी करने में अपने क्षैत्राधिकार का दुरूपयोग नहीं किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी ने गलत तथ्यो के आधार पर वर्तमान निगरानी पेश की है, जो खारिज होने योग्य है।

5. प्रार्थी स्वयं दौराने बहस यह कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 2 को सरपंच ग्राम पंचायत चान्देसरा के पद पर रहते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(2) के तहत मिसल संख्या 06/2008–09 में पट्टा संख्या 09 दिनांक 25.06.2009, जिसका क्षैत्रफल 5163 वर्ग फीट का जारी किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त आलोच्य पट्टा जारी करने में पंचायतीराज अधिनिमय 1996 के नियमों की पालना नहीं की गई। राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 140 तहत ग्राम पंचायत स्वय के क्षेत्राधिकार की आबादी भूमि का ही नियमानुसार पट्टा जारी कर सकती है, लेकिन प्रार्थी संख्या 1 के कार्यालय आदेश क्रमांक 3794 दिनांक 13.02.2024 द्वारा प्राप्त संलग्न जांच रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 2 को खसरा नंबर 572 गैरमुमकिन ढाणी रकबा 1.4083 हैक्टर का वनाराम पुत्र हरखाराम जाति प्रजापत की रहवासीय ढाणी आबादी भूमि में नहीं होने के बावजूद भी अप्रार्थी संख्या 01 ने अपने क्षैत्राधिकार से परे जाकर पंचायतीराज नियम विरूद्ध आलोच्य पट्टा जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के

जिला कलक्टर
बालोतरा

पक्ष में आलोच्य पट्टा जारी करने में विधि एवं तथ्यों की भारी भूल की है, जिससे अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जारी आलोच्य पट्टा अपास्त किये जाने योग्य है।

6. प्रार्थी के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि उक्त भूखण्ड जो कि खसरा नंबर 572 रकबा 1.4083 बीघा गै.मु. ढाणी में अवस्थित है, लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 ने आबादी भूमि में आलोच्य पट्टा जारी न करके गैर मुमकिन ढाणी में जारी किया गया है। उक्त कब्जासुदा भूमि पर अप्रर्थी संख्या 1 ग्राम पंचायत द्वारा उक्त भूमि का आवंटन करने का कोई अधिकार नहीं होते हुये भी अप्रार्थी संख्या 2 के नाम आलोच्य पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी आलोच्य पट्टा संबंधित मूल पत्रावली में आदेशिका में किसी भी प्रकार की दिनांक अंकित नहीं है एंव बैठक कार्यवाही रजिस्टर भी उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार उक्त आलोच्य पटटा राजस्थान पंचायतीराज नियम के तहत एवं सम्पूर्ण विधिसम्पन्न प्रकिया अपनाकर जारी नहीं किया गया है, जो खारिज होने योग्य है।

7. अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 2 को नियम 157(2) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत मिसल 06/2008–2009 में पट्टा संख्या 09 दिनांक 25.06.2009 को जारी किया गया है। वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा 50 वर्षो से ज्यादा समय से घर बना हुआ है और मौके पर अप्रार्थी संख्या 2 का कब्जा है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में पुराने घर को विनियमितीकरण का हकदार होने से विधिक रूप से आलोच्य पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर बने आवास गृहों के पट्टे जारी करने का क्षेत्राधिकार रखता है। जिस बाबत राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती रजा विभाग द्वारा जारी परिपत्र सिवायचक/नियमन/विधि/पट्टा/2017/1469 दिनांक 31.11.2017 को जारी किया गया है। उक्त आलोच्य भूखण्ड खसरा संख्या 572 गैर मुमकिन ढाणी आबादी क्षैत्र है। उपर्युक्त परिपत्र के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 2 को पट्टा जारी करने में अपने क्षैत्राधिकार का दुरूपयोग नहीं किया गया है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 2 के द्वेष भावना रखने वाले से मिलावट कर गलत निगरानी पेश कर गरीब कास्तकार को खर्चे से जैर बार आर्थिक नुकसान पंहुचाया है। प्रार्थी ने अप्रार्थी 1 द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 20.09.2009 को अपनी निगरानी में प्रश्नगत करते हुए उसको चुनौती देकर निगरानी पेश नहीं की, जिससे पट्टा संख्या 9 जो मात्र साक्ष्य देने का सबुत दस्तावेज है, जिसके विरूद्ध निगरानी निरस्त करने का श्रीमान न्यायालय को क्षैत्राधिकार प्राप्त नहीं है। पट्टा एक दस्तावेज सबूत है, जिसको रद्द करने का क्षेत्राधिकार मात्र सिविल न्यायालय को है। इस प्रकार प्रार्थी ने जो गलत तथ्यो के आधार पर वर्तमान निगरानी पेश की है, जो खारिज होने योग्य है।

8. हमने पत्रावली में प्रार्थी स्वयं एवं अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवकता की बहस सुनी, बहस उपरांत पत्रावली का अवलोकन किया एवं मनन किया गया तथा अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाया कि ग्राम पंचायत चान्देसरा द्वारा मिसल संख्या 06/2008–09 पर पंचायत की बैठक में फैसल दिनांक 25.06.2009 के अनुसरण में आलौच्य पट्टा सं. 9 दिनांक 25.06.2009 को अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी किया गया है। प्रार्थी स्वयं का कथन हैं कि विवादित भूखण्ड गैर मुमकीन ढाणी की भूमि पर अप्रार्थी सं. 1 ने अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में पंचायती राज नियम 140 की पालना नहीं करते हुए उक्त आलोच्य पट्टा जारी किया गया हैं एवं अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 ने भी उक्त आलोच्य विवादित भूमि आबादी की नहीं होकर, राजस्व भूमि होने का कथन किया गया। इस संबंध में पत्रावली के संलग्न दस्तावेज कार्यालय पंचायत समिति बालोतरा के पंत्राक पंसबा/पंचा/जांच/2024/966 दिनांक 23.02.2024 में मौजा चान्देसरा के खसरा नंबर 572 गैर मुमकिन ढाणी रकबा 1.4083 हैक्टेयर ग्राम पंचायत आबादी भूमि पर ही पट्टा जारी कर सकती है तथा अतिरिक्त विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी ने लिखित में प्रार्थना पत्र पेश कर अवगत करवाया कि अप्रार्थी संख्या 2 वनाराम की रहवासीय ढाणी आबादी भूमि में स्थित नहीं है एवं ग्राम पंचायत द्वारा पूर्व में जारी आलोच्य पट्टा पंचायतीराज नियमों के तहत जारी नहीं किया गया, ऐसा बताया गया। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1996 के नियम 140 के अनुसार ग्राम पंचायत का क्षैत्राधिकार अपने आबादी भूमि में ही पट्टा जारी करने का अधिकार है, लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में आबादी भूमि क्षेत्र में जारी न करके गैर मुमकिन ढाणी खसरा संख्या 572 में जारी किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में आलोच्य पट्टा जारी करते समय में पंचायतीराज अधिनियम 1996 के नियम 140 की पालना नहीं की गई है। साथ ही ग्राम पंचायत से मूल अभिलेख तलब किया गया, जिसमें उक्त आलोच्य पट्टा संबंधित संधारित की गई पत्रावली के संलग्न आदेशिकाएं में दायर दिनांक, मौका निरीक्षण दिनांक, पट्टा जारी दिनांक अंकित होना नहीं पाया गया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा मौका रिपोर्ट का सही प्रारूप पर हस्ताक्षर नहीं करवाया गया और न ही तीन पंचो की कमेटी का गठन किया गया है। ऐसे में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त आलोच्य पट्टा संख्या 9 दिनांक 25.06.2009 को जारी करने में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 नियम 146 की भी पालना नहीं की गई है। उक्त आलोच्य पट्टा कब जारी किया गया, इसका इन्द्राज संबंधित आदेशिका में अंकित होना नहीं पाया गया। ऐसे में आलौच्य पट्टा जारी करने से उक्त हस्तगत प्रकरण में उक्त नियमों की पालना, साक्ष्य व संबंधित बैठक कार्यवाही रजिस्टर नहीं होने से संदिग्ध होना जाहिर होता है। इस प्रकार आलौच्य पट्टा विलेख से संबंधित ग्राम पंचायत के दस्तावेजों के अभाव एवं अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रकट तथ्यों से अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में ग्राम पंचायत चान्देसरा द्वारा आलौच्य पट्टा संख्या 09 दिनांक 25.06.2009 को जारी किया गया है, वह बिना विधिक प्रक्रिया, दस्तावेजी सबूत एवं संदिग्ध प्रक्रिया द्वारा पारित किया गया है, जो काबिल खारिज योग्य हैं। इस प्रकार अधिनस्थ ग्राम पंचायत अप्रार्थी संख्या 1 ने राजस्थान पंचायतीराज नियमों में

जिला कलक्टर
बालोतरा

प्रावधित प्रावधानों के विपरित जाकर तथा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आलोच्य पटटा संख्या 09 दिनांक 25.06.2009 को जारी किया है, निरस्त अपास्त योग्य पाया जाता है।

9. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 1 सरपंच ग्राम पंचायत चान्देसरा द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 वनाराम के नाम जारी पटटा संख्या 09 दिनांक 25.06.2009 को जारी किया गया, को राजस्थान पंचायतीराज नियम के प्रावधित विधिक प्रावधानों के विपरित होने से एवं विधिसम्मत नहीं होने से पट्टा निरस्त किया जाता है। अधिनस्थ ग्राम पंचायत का विलेख निर्णय की प्रति के साथ अविलम्ब प्रेषित हो।

10. निर्णय आज दिनांक 05.02.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुशील कुमार यादव)
जिला कलक्टर, बालोतरा